HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Suspension of Sentence Application No. 1948/2026
IN
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2083/2026
CNR: RJHC020879512026 | URN: CRLAS / 3619U / 2026

1. Mulakraj S/o Shri Ramswaroop, Aged About 31 Years, R/o Bidarkya Ki Dhani, Tan Paparda, Police Thana Paparda, District Dausa.
2. Sukhdarshan S/o Rajsingh, Aged About 23 Years, R/o Daroli Ahir, Police Thana Sadar Mahendragarh, District Mahendragarh Haryana.

----Accused-Appellants

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent/State

For Appellant(s)	:	Mr. Surendra Sharma, Adv. Mr. Amit Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

10/09/2026

1 प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. मुलकराज पुत्र रामस्वरूप, 2. सुखदर्शन पुत्र राजसिंह** की ओर से धारा **430 बी.एन.एस.एस.** के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **सेशन न्यायाधीश, दौसा, जिला–दौसा** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– **30/2025,** उनवान **सरकार बनाम मुलकराज आदि** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **21–08–2026,** जिसके द्वारा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा **109(1)/3(5), 111(2)(ख) एवं 111(3) भारतीय न्याय संहिता** में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया तथा अपराध अंतर्गत धारा **132, 3(5), 348/3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/25 एवं 35 आर्म्स एक्ट** में दोषसिद्ध

कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैः–

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
132 सपठित धारा 3(5) बीएनएस	01 वर्ष के साधारण कारावास	5000/– रुपये	01 माह का अतिरिक्त कारावास
348/3(5) बीएनएस	01 वर्ष के साधारण कारावास	5000/– रुपये	01 माह का अतिरिक्त कारावास
3/25 आयुध अधिनियम	02 वर्ष के साधारण कारावास	10,000/– रुपये	02 माह का अतिरिक्त कारावास
35 आयुध अधिनियम	02 वर्ष के साधारण कारावास	10,000/– रुपये	02 माह का अतिरिक्त कारावास

2 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3 बहस सुनी गई।

4 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, पत्रावली पर उन्हें दोषसिद्ध करने हेतु लेशमात्र साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रस्तुत समस्त गवाहान पुलिसकर्मी हैं एवं अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाहान को न्यायालय में प्रस्तुत कर उनके बयान लेखबद्ध नहीं करवाए गए हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से प्रकरण में बरामदशुदा हथियार का कार्यशील होना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कहानी अनुसार प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा पुलिस जाब्ते पर वाहन चढ़ाकर उन्हें मारने का प्रयास करना बताया है, किंतु किसी भी पुलिसकर्मी के कोई चोटें आना प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत गवाहान के कथनों में आपस में गंभीर विरोधाभास है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर

आजाद थे एवं विचारण न्यायालय द्वारा उनकी सजा एक माह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उनके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उनका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा किया जावे।

5 विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

6 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7 हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8 परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. मुलकराज पुत्र रामस्वरूप, 2. सुखदर्शन पुत्र राजसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक **12–10–2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो निम्न शर्तों के अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत

दिए गए ''**दण्डादेश**'' (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे।

1– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर सं. बंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगे।

2– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पु. लिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अपील के विच. ारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलते हैं तो वे इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता को जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगे।

9 आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

31/RAHUL